(45)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, कैम्प कोर्ट, रीवा (म.प्र.)

R. 5094-दो/15

श्री विवेक शर्मा एड. द्वारा आज दिनांक 7-10-15 को प्रस्तुत किया गया

1. राजबहोरन सिंह तनय श्री स्व0 श्री बृहस्पति सिंह
2. रंगबहादुर सिंह तनय श्री स्व0 श्री बृहस्पति सिंह
3. पुष्पराज सिंह तनय श्री स्व0 श्री बृहस्पति सिंह
4. अशोक कुमार सिंह तनय श्री स्व0 श्री बृहस्पति सिंह
5. संतोष कुमार सिंह तनय श्री स्व0 श्री बृहस्पति सिंह
6. मुस0 सावित्री देवी बेबा पत्नी स्व0 श्री बृहस्पति सिंह सभी निवासी ग्राम मझरेठी कला, तहसील सिहावल, जिला सीधी (म.प्र.)

448 / 7-10-15

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

रघुनन्दन सिंह तनय विश्वनाथ सिंह निवासी ग्राम मझरेठी कला, तहसील सिहावल, जिला सीधी (म.प्र.) .... गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध प्र0क्र. 236/अपील/ 2010—11 आदेश दिनांक 19.08.15 जो माननीय अपर आयुक्त महोदय रीवा द्वारा पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

संक्षिप्त आधार

उत्तरवादी द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी सीधी दल क्र01 के समक्ष वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमियों का नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थी क्र01 ता 5 के पिता व 6

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5094-II/2015 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
25-5-2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न अधिनस्थ न्यायालयों के आदेशों का अवलोकन किया। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित है कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–1996 के विरूद्ध अपील किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश उक्त राजीनामा की शर्तों के आधार पर ही किया जाना पाया जाता है। इस तरह अपर आयुक्त ने भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–2010 विधिसंगत होने से स्थिर रखा है। अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रकट नहीं हाती है। फलस्वरूप यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के0 सी0 जैन) सदस्य	